इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई 2023—श्रावण 5, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023

क्र. एफ ए-3-04-2019-1-पांच (26).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-04-2019-1-पांच (14), दिनांक 08 फरवरी, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में,—

(A) प्रारंभिक पैराग्राफ में, वाक्यांश ''पैराग्राफ 4.41'' के स्थान पर, वाक्यांश ''पैराग्राफ 4.40'' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(B) स्पष्टीकरण में,—

(i) खण्ड (क) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(क) ''विदेश व्यापार नीति'' से अभिप्राय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 1/2023, द्वारा का. आ. 1565 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित ''विदेश व्यापार नीति, 2023'' से है.'';

(ii) खण्ड (ख) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(ख) ''हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर्स'' से अभिप्राय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2023 के तहत दिनांक 1 अप्रैल, 2023 की फा. सं. 01-75-171-00016-एएम-23-एफटीपी सेल के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित ''हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर्स'' से है.;''

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2023 से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023

क्र. एफ ए-3-04-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-04-2019-1-पांच (26), दिनांक 27 जुलाई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 27th July 2023

No. F A-3-04-2019-1-V(26).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, on being satisfied that it is necessary in public interest so to do, hereby makes the following amendments in this department's notification No. F A-3-04-2019-1-V (14), dated the 8th February, 2019, namely :—

In the said notification,—

(A) in the opening paragraph, for the phrase "paragraph 4.41", the phrase "paragraph 4.40", shall be substituted;

(B) in the Explanation,—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2023, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* notification No.1/2023, dated the 31st March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii) *vide* S. O. 1565 (E), dated the 31st March, 2023;"

(ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) "Handbook of Procedures" means the Handbook of Procedure, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* Public Notice No. 01/2023, dated the 1st April, 2023, Extraordinary, Part-I, Section 1 vide F. No. 01-75-171-00016-AM-23-FTP Cell dated the 1st April, 2023;"

2. This notification shall come into force on the 27th July 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.